राजस्व वाद सं. 97/17
उनवान पूनमाराम वगैरा बनाम TDR
चौहटन

निर्णय दिनांक 16.6.17

वादी पूनमाराम ने वाद पेश कर निवेदन किया कि मौजा लखबार पटवार हल्का आरियाँ तहसील चौहटन में हम पूनमा, हेमा, गीमा पि० मालाराम, मालाराम पुत्र निम्बाराम का शामिल शुमाल खातेदारी खेत ख.नं. 205 रकबा 0.11 बीघा व ख.नं. 206 रकबा 92.12 बीघा का आये हुए है। विक्रय पत्र की प्रति संलग्न है। उक्त खसरान में पूनमा, हेमा, गीमा पि० मालाराम का ½ हिस्सा व मालाराम पुत्र निम्बाराम का ½ हिस्सा खातेदारी बनता है लेकिन राजस्व रेकर्ड में हिस्से खुले हुए नहीं है। उक्त खसरान के हिस्से घोषित करने की इस्तदुआ चाही गई। वाद दर्ज रजि. कर तहसीलदार चौहटन से जांच रिपोर्ट मंगवाई गई। तहसीलदार चौहटन ने भी वाद अनुसार हिस्से घोषित करने की अनुशंसा की। प्रतिवादी कैम्प में उपस्थित। उभय पक्षकारान ने राजीनामा पेश कर सभी वाद में वर्णित तथ्यों को स्वीकार कर वाद अनुसार हिस्से घोषित करने की सहमति जताई। उक्त में हेमा व माला के ब्यान कलमबद्ध किये गये। अतः वादी का वाद जरिये राजीनामा स्वीकार कर मौजा लखबार पटवार क्षेत्र आरियाँ त० चौहटन के खेत ख.नं. 205 रकबा 0.11 बीघा व ख.नं. 206 रकबा 92.12 बीघा में पूनमा, हेमा, गीमा पि० मालाराम का ½ हिस्सा व मालाराम पि. निम्बाराम

सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन

सहायक कलक्टर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तालीम में जारी हुए
सहायक कलक्टर (SDO) चौहटन	का 3/5 हिस्सा घोषित किया जाता है। डिक्री फर्द जारी हो। उपरोक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार चौहटन को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 16.6.17 राजस्व लोक अदालत कैम्प कापराऊ में मजमे आम सुनाया गया। [signature] सहायक कलक्टर चौहटन	